संख्या- 74/2016-1158/नौ-5-16-172बजट/2013टीसी

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में मौ0 अली जौहर विश्वविद्यालय एवं उसके समीप विकसित होने वाले क्षेत्रों में जलोत्सारण की परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-72/नागर'02/033-0410/16 दिनांक 30.03.2016 के संदर्भ में शासनादेश सं0-7038/नौ-5-2014-172बजट/13टीसी, दिनांक 29.12.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में मौ0 अली जौहर विश्वविद्यालय एवं उसके समीप विकसित होने वाले क्षेत्रों में जलोत्सारण की परियोजना की निर्धारित लागत रू0 4686.85 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1800.00 लाख के अतिरिक्त परियोजना की अवशेष लागत रू0 2886.85 लाख (रू0 अटठाइस करोड़ छियासी लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय/अन्तिम अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबंधो के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

go finance mangal font

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनातवित्तनियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल-जल तथा सफाई-192नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिष्दों को सहायता-05-मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर एवं उसके आस पास के क्षेत्र में जलोत्सारण की योजना-35-पूजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 74/1158(1)/नौ-5-16-172बजट/2013टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/रामपुर ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4 निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
6 कुल सचिव, मौ0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
7. मुख्य अभियंता (मुरा0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद ।
8. मुख्य अभियंता (गंगा) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नित्रयण) अनुभाग-8/9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वरिष्ठ अधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो
11 सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12 गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सैल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-30/03/2016

प्रेषण संख्या:- 74

आवंटन आदेश संख्या:- 001-74-2016-1158-9-5-16-172B-2013TC

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

05 - मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर एवं उसके

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	288685000 288685000	288685000 288685000
	योग	वर्तमान प्रगामी	288685000 288685000	288685000 288685000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ छियासी लाख पंचासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ छियासी लाख पंचासी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी